COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

C-883 151

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

R 192-IV/2001 प्रकरण क्रमांक /२००१ निगरानी

हुकुमसिंह पुत्र रुस्तमसिंह, निवासी पुरानी बस्ती, तहसील व जिला भिण्ड म०प्र० --- प्रार्थी

विरुद्ध

मृत १। रामदयाल पुत्र अन्तराम

२। मुंवर सिंह (३) ललनसिंह ४। कोकसिंह रामनाथ ५। पातीराम पुत्र तातो निवासीगण हरनाथकापुरा, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र० ---- असल प्रतिप्रार्थीगण

६। रुस्तम सिंह दत्तक पुत्र श्री जालिम निवासी पुरानीबस्ती भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र०

७। विष्णुकुमार पुत्र श्री वीरेश्वरदयाल ब्रा० निवासी कस्बा भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र० --तरतीवी प्रतिप्रार्थी

श्री एस. के. अवस्थी - अभिभाषक द्वारा आज दि० 29.1.01 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

29 JAN 2001

29/1/2001

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक ३१-१०-२००० अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १२६/९४-९५ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

क्रमशः २

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 192–चार/01 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 126/94–95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–10–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा कस्वा भिण्ड स्थित विवादित भूमि कुल रकबा 8.457 हैक्टर पर उपकृषक होने के आधार आवेदन विचानरण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.9.55 को पेश किया कि उन्हें उपकृषक होने के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं अतः विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में नामांतरण किया जाये । विचारण न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 12–7–56 द्वारा पक्का कृषक पाए जाकने के आधार पर शासकीयक कागजात में नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया । राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 27–12–72 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । प्रत्यावर्तन के उपरांत कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–7–79 द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध भी प्रकरण राजस्व मंडल तक आया । राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 30–12–88 से	

R-192. 15/01 (A105)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । प्रकरण प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक द्वारा पक्षकार बनाए जाने बावत आवेदन पेश किया तहसीलदार ने उक्त आवेदन 16–4–90 द्वारा निरस्त किया इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियां अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप को समझे बिना आदेश पारित किया है । आवेदक को अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकार मान लिया है ऐसी स्थिति में उसका हित है और उसे सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को तरतीवी पक्षकार मानना सही नहीं है । 4/ अनावेदकगण एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक को पक्षकार न बनाए जाने के संबंध में है । इस संबंध में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि प्रकरण वर्ष 1955 से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है और आवेदक द्वारा 1990 में पक्षकार बनने का आवेदन दिया गया है । आवेदक की आपत्ति को विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विवादित भूमि रूस्तम सिंह से कय की गई है जबकि प्रकरण रूस्तम सिंह और रामदयाल के मध्य प्रचलित है और उसमें जो निर्णय होगा वह उसके पुत्र, केतागण तथा अन्य पर लागू होगा । आवेदक विचारण	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 192–चार/01 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय में पक्षकार भी नहीं था । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इसक प्रकरण में जो आदेश हैं वे अपने स्थान पर उचित होकर पुष्टि योग्य हैं । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	